



# mines, minerals & PEOPLE

दिनांक:13-04-2020

प्रति,  
माननीय श्री संतोष गंगवार  
मंत्री, श्रम और रोजगार विभाग,  
भारत सरकार, नई दिल्ली

## विषय:- भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर निधि के अप्रयुक्त निधि का उपयोग करने के लिए

खान, खनिज और लोग (mm&P), बान्धकाम मजदूर संगठन (निर्माण श्रमिक संघ), अखिल गुजरात श्रमयोग कादर यूनियन पिछले 25 वर्षों से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, प्रवासी कामगारों और खानों के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। Covid-19 महामारी की वजह से घोषित देश व्यापी लॉकडाउन ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों को भीषण आर्थिक संकट में धकेल दिया है।

केंद्र सरकार अधिनियम, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण अधिनियम, 1996 के अनुसार सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश निर्माण परियोजना के मूल्य का 1 प्रतिशत से कम और अधिकतम 2 प्रतिशत का संग्रह उपकर के रूप में (जमीन की लागत को छोड़कर) नहीं कर रहे हैं। एकत्र किए गए धन का उपयोग राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के BoCWW बोर्डों द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए किया जाए।

हालाँकि, जैसा कि हमने गुजरात और अन्य राज्यों में देखा है, BoCWW फंड से वर्षों में खर्च किए गए फंड का एक मामूली प्रतिशत है, जो साल-दर-साल बिना रुकावट के संचय के लिए अग्रणी है। नवीनतम जानकारी के अनुसार, अनिर्दिष्ट BoCWW फंड की राशि 52,000 करोड़ रुपये है।

चूंकि आप पहले से ही विभिन्न राज्यों के सीएम और संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल को BoCWW बोर्ड से धन का उपयोग समाज कल्याण के लिए और ऐसे श्रमिकों के लिए आपातकालीन वित्तीय सहायता पैकेज का विस्तार करने के लिए निर्देशित कर चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक राज्य के अधिकारियों से या एक समान तरीके से बोर्ड प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है, हम निम्नलिखित सुझाव देना चाहेंगे:

1, बोर्ड के गठन के बाद से बोर्ड के साथ पंजीकृत होने वाले सभी श्रमिकों को उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से अगले तीन महीनों के लिए निर्वाह बेरोजगारी भत्ते के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 50 प्रतिशत आवंटित किया जाए।

2, श्रम आपूर्ति ठेकेदार अक्सर श्रम कानून जैसे कि भविष्य निधि अधिनियम को दरकिनार करने के लिए पूरे कार्यबल को उनके तहत पंजीकृत नहीं करते हैं। अब जो स्थिति पैदा हुई है, वह मांग करती है कि सभी निर्माण श्रमिकों को BoCWW बोर्ड के सामाजिक कल्याण लाभ में लाने की आवश्यकता है। इसलिए हम सुझाव देते हैं कि बोर्ड, श्रम ठेकेदार अधिनियम, 1970 के अनुसार लाइसेंस प्राप्त श्रम ठेकेदारों से ऐसे सभी अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों की सूची प्राप्त करने के लिए एकत्रित अधिकारियों को उपकर लगाने का निर्देश जारी करेंगे और संबंधित BoCWW बोर्डों के तहत लाभार्थियों के रूप में खुद को पंजीकृत करेंगे।

**Main. Off.:-** Door No:1-163, Dabbanda, Gandigundam Post, Pendurthi Sub Post Office, Pendurthi, 531173  
Visakhapatnam, Andhra Pradesh

**Add. 2:-** 1, Punayshlok Appartment, Near Liberty Bus Stop, University Road, Navrangpura, Ahmedabad – 380009

**Emai:-** mmpindia@gmail.com **Website:-** www.mmpindia.in



# mines, minerals & PEOPLE

Covid-19 महामारी में लॉकडाउन के रूप में इस तरह के कठिन समय के दौरान हम आपसे यह सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं कि BoCWW बोर्डों से एक भी अनौपचारिक क्षेत्र के कार्यकर्ता उदार वित्तीय सहायता पैकेज से वंचित न रहे।

भवदीय

*Ravi Ramesh*

*Ashok Shrivastava*

रवि रेबप्रगडा

अशोक श्रीमाली

लालसिंह पारगी

अध्यक्ष, एम्.एम्.पी

महासचिव, एम्.एम्.पी

एट एंड पोस्ट झालोद, मेन बाजार

जिला-दाहोद, गुजरात

श्री विपुल पंड्या

महासचिव, बान्धकाम मजदूर संगठन

8, मंगलदीप फ्लैट्स, दांडी ब्रिज के पास, पोस्ट गांधी आश्रम, अहमदाबाद-380027

फ़ोन न.: 9427263563

**Main. Off.:-** Door No:1-163, Dabbanda, Gandigundam Post, Pendurthi Sub Post Office, Pendurthi, 531173  
Visakhapatnam, Andhra Pradesh

**Add. 2:-** 1, Punayshlok Apartment, Near Liberty Bus Stop, University Road, Navrangpura, Ahmedabad – 380009

**Emai:-** mmpindia@gmail.com **Website:-** www.mmpindia.in